

राजस्थान सरकार
विधि एवं विधिक कार्य विभाग

क्रमांक प. 22(6)न्याय/2013

जयपुर, दिनांक

30 JUN 2016

::आज्ञा::

विधि सेवा संवर्ग के निम्नांकित कार्मिक को उनके प्रार्थना पत्र के क्रम में उनके नाम के सम्मुख अंकित प्रतियोगी परीक्षाओं में सम्मिलित होने की अनुमति नियमानुसार निम्नलिखित शर्तों के साथ एतद्वारा प्रदान की जाती है:-

क्र. सं.	नाम (सर्व श्री/सुश्री/श्रीमती/डॉ.)	विभाग का नाम	परीक्षा जिसकी अनुमति चाही है
1.	उमा शंकर शर्मा कनिष्ठ विधि अधिकारी	नगर परिषद् भरतपुर	सिविल जज केडर परीक्षा, 2016
2.	अरविन्द कुमार चतुर्वेदी कनिष्ठ विधि अधिकारी	राजकीय वादकरण, विधि प्रकोष्ठ -4, शासन सचिवालय, जयपुर	1. राजस्थान न्यायिक सेवा परीक्षा-2016 2. सहायक लोक अभियोजन अधिकारी के साक्षात्कार हेतु।
3.	मुकेश कुमार सांवरिया कनिष्ठ विधि अधिकारी	निदेशालय, कालेज शिक्षा, जयपुर	सहायक लोक अभियोजन अधिकारी परीक्षा 2015 के साक्षात्कार हेतु।
4.	दिशा फौजदार कनिष्ठ विधि अधिकारी	वित्त (कर) विभाग शासन सचिवालय, जयपुर	1. सिविल जज केडर परीक्षा-2016 2. कॉलेज व्याख्याता परीक्षा
5.	अशोक कुमार कनिष्ठ विधि अधिकारी	नगर परिषद् अलवर	1. सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट पद के लिए सीधी भर्ती हेतु प्रतियोगी परीक्षा, 2016 2. सहायक अभियोजन अधिकारी परीक्षा, 2015
6.	विनोद कुमार डाबी कनिष्ठ विधि अधिकारी	महानिदेशालय कारागार राजस्थान, जयपुर	आर.जे.एस. परीक्षा वर्ष 2016
7.	हिमांशु शर्मा कनिष्ठ विधि अधिकारी	उपायुक्त (प्रशासन), वाणिज्यिक कर विभाग, अलवर	1. राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवाएं संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा, 2016 2. संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित असिस्टेंट रजिस्ट्रार ऑफ ट्रेड मार्क्स एवं जियोग्राफिकल इंडिकेशन
8.	रामप्रकाश कश्यप कनिष्ठ विधि अधिकारी	नगर परिषद् धौलपुर	1. सहायक लोक अभियोजन अधिकारी परीक्षा, 2013 के साक्षात्कार हेतु। 2. राजस्थान न्यायिक सेवा परीक्षा-2016

शर्त:-

1. परीक्षा की तैयारी हेतु किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
2. परीक्षा दिवस के अतिरिक्त अन्य कोई अवकाश स्वीकृत नहीं किया जावेगा।

-६-

(डॉ. कैलाश चन्द्र अटवासिया)
संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. संबंधित कर्मचारी/अधिकारी।
2. संबंधित विभाग/रक्षित पत्रावली

3. प्रोग्रामर, विधि एवं विधिक कार्य विभाग, को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।

30-06-26

संयुक्त शासन सचिव